अशासकीय पत्र सं0–1 / शा0 / 21 / 2021–1 / 152 / 2022
लखनऊ दिनांक 05 अगस्त, 2022

आवंटन
अनुदान सं0–14
तेरह अंकों का कोड–**2515001960500**
**2515001970500**
**2515001980500**

---

**आहरण एवं वितरण अधिकारी /**
**संयुक्त निदेशक(पं0)**
पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0।

---

कृपया अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–02 / 2022 / 588 / 001–33–2020 दिनांक 05.08.2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 7466.00 करोड़ के सापेक्ष **अनटाइड फण्ड** की प्रथम किश्त की धनराशि **रू0 1493.20 करोड़ (रू0 चौरह अरब तिरान्बे करोड़ बीस लाख मात्र)** की अवमुक्त / स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है कि उ0प्र0 प्रदेश सरकार को धनराशि प्राप्ति के 10 कार्य दिवस के अन्दर पंचायती राज संस्थाओं यथा ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से हस्तान्तरित कर दिया जाये–

1. आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–13 / 2022 / बी–1–454 / दस–2022–231 / 2022 दिनांक 07.06.2022 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं को संक्रमित की जा रही धनराशि का व्यय 15वें वित्त आयोग की धनराशि के उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं0–30 / 2020 / 1594 / 33–3–2020–33 / 2020 दिनांक 29.06.2020 व अन्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।
3. पंचायतीराज संस्थाओं हेतु आवंटित की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर किसी भी दशा में आहरण–वितरण अधिकारी / नोडल अधिकारी द्वारा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
4. कोषागार से धनराशि आहरित कर सीधे पंचायतीराज संस्थाओं के खाते में जमा की जायेगी। उक्त प्रक्रिया पी0एफ0एम0एस0 के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादशों के अनुसार किया जायेगा।
5. आहरण वितरण अधिकारी / नोडल अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पंचायतीराज संस्थाओं का बैंक खाता, आई0एफ0एस0सी0 कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है, वह सही है।
6. धनराशि के आहरण की सूचना बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित पंचायतीराज अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।
7. आवंटित की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जिसके लिये धनराशि दी जा रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन / समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।
8. उक्तानुसार वित्तीय आवंटित धनराशि को निर्गत करने के पूर्व जनपदवार धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित कर लिया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय / उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिये यह आवंटित की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आहरण वितरण अधिकारी / नोडल अधिकारी का होगा।
9. उक्त वित्तीय आवंटन जारी करने के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार / केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

10. शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0–4/2018/आर0जी0–1021/दस/2018–मित0–1/2017 दिनांक 18.09.2018 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

11. वित्तीय आवंटन का आदेश बजट में जनपदवार उपलब्ध धनराशि की सीमा के ऊपर कदापि नहीं निर्गत किया जायेगा। जनपदवार फाण्ट के सही होने का दायित्व आहरण वितरण अधिकारी/नोडल अधिकारी का होगा। धनराशि का आहरण/ व्यय में भारत सरकार की गाइड लाइन/दिशा–निर्देश का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जायेगा।

12. पंचायती राज संस्थाओं हेतु भारत सरकार से अवमुक्त प्रथम किश्त की अनटाइड फण्ड की कुल धनराशि रू0 1493.20 करोड़ को निम्नानुसार संलग्न फाण्ट के अनुसार उपरोक्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती है–

(धनराशि रू0 में)

| क्र0सं0 | पंचायती राज संस्थाओं का नाम | लेखाशीर्षक | आवंटित धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | जिला पंचायत | 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–196–जिला परिषदों/जिला स्तरीय संस्थाओं को सहायता–05–15वां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान–20–सहायता अनुदान –सामान्य(गैर वेतन) | 2,23,98,00,000/– |
| 2 | क्षेत्र पंचायत | 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–197–ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों को सहायता–05–15वां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान–20–सहायता अनुदान– सामान्य(गैर वेतन) | 2,23,98,00,000/– |
| 3 | ग्राम पंचायत | 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–05–15वां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान–20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन) | 10,45,24,00,000/– |
| | | **योग** | **14,93,20,00,000** |

2–उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में आय–व्ययक के अनुदान सं0–14 में पंचायती राज संस्थाओं (कॉलम सं0–2) के सम्मुख कॉलम सं0–3 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों के नामे डाला जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन पंजिका के पृष्ठ सं0–141 पर अंकित है।

**<u>संलग्नक–उपरोक्तानुसार।</u>**

**(अनुज कुमार झा)**
**निदेशक,**
**पंचायतीराज उ0प्र0।**

**<u>संख्या–1/शा0/21/1/2021 तददिनांक।</u>**

**प्रतिलिपि**–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 05.08.2022 के क्रम में।
2. प्रधान महालेखाकार, प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।

Desktop/other file/2022-23/Mar 2022

3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7. उप निदेशक(पं0)/नोडल अधिकारी, 15वां वित्त आयोग, पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा जारी मार्ग निर्देशिका के अनुसार आहरित धनराशि सम्बन्धित ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों के खातों में समयान्तर्गत हस्तान्तरित कराना सुनिश्चित करें।
8. उप निदेशक(पं0), जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0।
9. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
10. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
11. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत उ0प्र0।
12. एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

**(ब्रजेश कुमार)**
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज उ0प्र0।

Desktop/other file/2022-23/Mar 2022

## Allotment Grid Report

**वित्तीय वर्ष:-2022-2023**
**आवंटन दिनांक-05/08/2022**

**प्रेषण संख्या:-** 1-sha-1-2022-01-152-2022
**आवंटन आदेश संख्या:-** 001-1-152-2022
**अनुदान संख्या:-** 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
**लेखाशीर्षक:-** 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

196 - जिला परिषदों / जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता
05 - पन्द्रहवां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान

**(धनराशि रु. में)**

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 , लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय | वर्तमान<br>प्रगामी | 2239800000<br>2239800000 | 2239800000<br>2239800000 |
| | योग | वर्तमान<br>प्रगामी | 2239800000<br>2239800000 | 2239800000<br>2239800000 |

**महायोग**- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो अरब तेइस करोड़ अठानवे लाख
**महायोग**- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो अरब तेइस करोड़ अठानवे लाख

(बृजेश कुमार)
**मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी**

## Allotment Grid Report

**वित्तीय वर्ष:-2022-2023**
**आवंटन दिनांक-05/08/2022**

**प्रेषण संख्या:-** 1-sha-2-2022-01-152-2022
**आवंटन आदेश संख्या:-** 002-1-152-2022
**अनुदान संख्या:-** 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
**लेखाशीर्षक:-** 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

197 - ब्लाक पंचायतों / मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों को सहायता
05 - पन्द्रहवां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान

**(धनराशि रु. में)**

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 , लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय | वर्तमान<br>प्रगामी | 2239800000<br>2239800000 | 2239800000<br>2239800000 |
| | योग | वर्तमान<br>प्रगामी | 2239800000<br>2239800000 | 2239800000<br>2239800000 |

**महायोग-** (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो अरब तेइस करोड़ अठानवे लाख
**महायोग-** (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो अरब तेइस करोड़ अठानवे लाख

(बृजेश कुमार)
**मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी**

## Allotment Grid Report

**वित्तीय वर्ष:-2022-2023**
**आवंटन दिनांक-05/08/2022**

**प्रेषण संख्या:-** 1-sha-3-2022-01-152-2022
**आवंटन आदेश संख्या:-** 003-1-152-2022
**अनुदान संख्या:-** 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
**लेखाशीर्षक:-** 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

198 - ग्राम पंचायतों को सहायता
05 - पन्द्रहवां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान

**(धनराशि रु. में)**

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 , लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय | वर्तमान | 10452400000 | 10452400000 |
| | | प्रगामी | 10452400000 | 10452400000 |
| | योग | वर्तमान | 10452400000 | 10452400000 |
| | | प्रगामी | 10452400000 | 10452400000 |

**महायोग**- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दस अरब पैंतालीस करोड़ चौबीस लाख
**महायोग**- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दस अरब पैंतालीस करोड़ चौबीस लाख

(बृजेश कुमार)
**मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी**